कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक– 383/11–सी–**FP/UP/IRRIG/20269/2016** लखनऊ, दिनाँकः अगस्त 10 ,2017

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
मिर्जापुर क्षेत्र,
मिर्जापुर।

विषयः– जनपद–सोनभद्र में कनहर सिंचाई परियोजना के मुख्य नहरों एवं प्रणालियों हेतु रेनुकूट वन प्रभाग की 103.6750 हे0 आरक्षित वनभूमि एवं ओबरा वन प्रभाग की 23.4887 हे0 आरक्षित वनभूमि अर्थात कुल 127.1637 हे0 आरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– आपके कार्यालय का पत्रांक–513/मिर्जापुर/33, दिनांक–03.08.2017

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र द्वारा रेनुकूट एवं ओबरा वन प्रभाग का समेकित प्रस्ताव प्राप्त हुआ, जिसमें परीक्षणोपरान्त प्रस्ताव के आनलाईन एवं हार्ड कापी में पुनः निम्नलिखित कमियां पायी गयी हैः–

- <u>रेनुकूट वन प्रभाग</u>

1. प्रभावित आरक्षित वनभूमि के बदले समतुल्य गैर वनभूमि पर पुनः 08 वर्षो का अनुरक्षण सहित प्राक्कलन संलग्न किया गया है कृपया प्रभावित आरक्षित वनभूमि के बदले समतुल्य गैर वनभूमि पर 10 वर्षो का अनुरक्षण सहित विस्तृत प्राक्कलन संलग्न करते हुए आनलाईन भाग–2 में अपलोड करें तथा ऑनलाइन भाग–2 क्षतिपूरक वृक्षारोपण धनराशि आदि का विवरण भी फीड करें।
2. क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा सत्यापित 1:50000 माप की टोपोशीट संलग्न है किन्तु शीर्षक व लीजेण्ड पुनः अंकित नहीं किया गया है।
3. ईको–क्लास–3 के अनुसार एन0पी0वी0 की गणना संलग्न है किन्तु दर पुनः त्रुटिपूर्ण आंगणित की गई है। अतः Eco Class-3 एवं हरियाली घनत्व 0.3 के अनुसार निर्धारित दर 6,26,000.00 रूपये प्रति हे0 की दर से गणना संलग्न करें।
4. आनलाईन भाग–2, Additional information details में अपलोड किये गये प्रमाण–पत्रों का नाम Remark Column में अंकित नहीं किया गया है।
5. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पूर्ण परियोजना से सम्बन्धित जस्टिफिकेशन टिप्पणी पुनः प्रस्ताव के साथ संलग्न नहीं किया है।
6. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के निर्धारित प्रारूप में पूर्ण परियोजना का लागत–लाभ विश्लेषण पुनः प्रस्ताव के साथ संलग्न नहीं किया है।

- <u>ओबरा वन प्रभागः–</u>

1. प्रस्ताव में वृक्षों की संलग्न सूचीं में कोन रेन्ज की दो वृक्ष की सूचीं पुनः संलग्न नहीं की गयी है।
2. ईको–क्लास–3 के अनुसार एन0पी0वी0 की गणना संलग्न है किन्तु दर पुनः त्रुटिपूर्ण आंगणित की गई है। अतः Eco Class-3 एवं हरियाली घनत्व 0.3 के अनुसार निर्धारित दर 6,26,000.00 रूपये प्रति हे0 की दर से गणना संलग्न करें।
3. आनलाईन भाग–2, कमांक–3 District wise area to be diverted in the division में Nil फीड किया गया है, जो त्रुटिपूर्ण है। अतः विवरण फीड करें।
4. आनलाईन भाग–2, Additional information details में अपलोड किये गये प्रमाण–पत्रों का नाम Remark Column में अंकित नहीं किया गया है।
5. ऑनलाइन प्रस्ताव का पार्ट–2 ओपेन नही हो रहा है।

<u>उपरोक्त दोनो वन प्रभागों में इंगित कमियों के निराकरण के पश्चात, संशोधित समेकित प्रस्ताव इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें। प्रस्ताव की तीन मूल प्रतियॉ इस कार्यालय से अपने किसी प्रतिनिधि के माध्यम से प्राप्त करना सुनिश्चित करें।</u>

भवदीय

(डा0 प्रशान्त कुमार वर्मा)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

<u>संख्या– 383/11–सी–**FP/UP/IRRIG/20269/2016**, दिनांकित।</u>

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट एवं ओबरा।
2. अधिशासी अभियन्ता, कनहर निर्माण खण्ड, तृतीय, पिपरी सोनभद्र।

(डा0 प्रशान्त कुमार वर्मा)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

Acy-1215